

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 507

दिनांक :- 17/03/2026

॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 397 दिनांक 25.02.2026 व क्रमांक 483 दिनांक 12.03.2026 में संशोधन कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा के पीठासीन अधिकारी का दिनांक 22.03.2026 का संतान परवरिश अवकाश स्वीकृत किए जाने के कारण टोंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्यों (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई सारणी संख्या 1 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिनके नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड इ्यूटी करेंगे। माह मार्च-2026 की दिनांकों के लिए पूर्ववर्ती आदेश यथावत् प्रभावी रहेंगे।

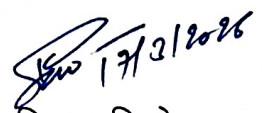
सारणी संख्या :- 1 रिमाण्ड इ्यूटी

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	अनुभा सिंह	8529211353	22.03.2026
2.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा	डॉ. सुरभि सिंह	9414782822	29.03.2026

उक्त इ्यूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे रिमाण्ड इ्यूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहें। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इ्यूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखें।

नोट :- उक्त राजकीय अवकाशों के अतिरिक्त आगामी दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में उक्त राजकीय अवकाशों हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत इ्यूटी दिवस पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।

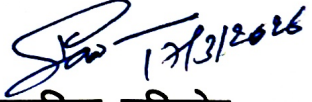

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 508-516

दिनांक :- 17/03/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा।
3. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह।
4. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
5. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
6. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
7. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
8. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
9. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)